न्यायालय: अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, हरदोई।

उपस्थित–योगेन्द्र चौहान (एच०जे०एस०) UP1608

CNR No. UPHR010033602025

दीवानी निगरानी सं० 33/2025

1. पंथवारी देवी विराजमान मन्दिर, स्थित कस्बा, परगना व पोस्ट पाली, तहसील सवायजपुर, जिला हरदोई द्वारा अनमोल कुमार बाजपेई आयु लगभग 57 वर्ष पुत्र श्री कीर्ति कुमार बाजपेई, अध्यक्ष श्री पंथवारी देवी मन्दिर समिति निवासी मोहल्ला सुलह सराय कस्बा परगना व पोस्ट पाली, तहसील सवायजपुर जिला हरदोई।

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रामनिवास आयु लगभग 67 वर्ष पुत्र स्व० रामस्वरूप, निवासी ग्राम लौकहा, मजरा ज्यूरा, परगना पाली, तहसील सवायजपुर, जिला हरदोई।
2. रामकिशोरी आयु लगभग 62 वर्ष पत्नी वेदराम, निवासी ग्राम गुटकामऊ, परगना पाली, तहसील सवायजपुर, जिला हरदोई।
3. रतीराम आयु लगभग 65 वर्ष पुत्र स्व० रामभरोसे,
4. सत्यपाल आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व० रामभरोसे,

सर्व निवासी ग्राम रनधीरपुरवा, परगना पछोहा,
तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई

..... उत्तरदातागण।

–निर्णय–

1) यह व्यवहार पुनरीक्षण धारा 115 जा०दी० के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता पंथवारी देवी द्वारा विचारण न्यायालय में दायर वाद संख्या 02/2017 पंथवारी देवी विराजमान मन्दिर बनाम राम निवास आदि के मामले में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 43क पर विद्वान अपर सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2) निगरानीकर्ता ने निगरानी में यह आधार लिये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.03.2025 जिसके द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व

Digitally signed by YOGENDRA CHAUHAN
Date: 2026.03.10 16:53:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3/1 व 3/2 (निगरानीकर्ता एवं उत्तरदातागण सं० 1, 3 व 4) द्वारा प्रस्तुत सन्धि पत्र कागज सं0 43क निरस्त कर दिया गया है पूरी तरह से विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सन्धि पत्र के तथ्यों व परिस्थितियों की अनदेखी करके वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 3/1 व 3/2 के मध्य के विवाद को समाप्त न करके प्रतिवादी सं० 2 की कपटपूर्ण भ्रामक व निराधार आपत्तियों को विशेष महत्व देकर अपनी विधिक अधिकारिता का दुरूपयोग करके पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया है। वादास्पद सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1. 3/1 व 3/2 के मध्य विधि एवं तथ्यों के किसी भी प्रश्न पर विवाद नहीं रह गया है केवल प्रतिवादिनी सं० 2 (उत्तरदात्री सं० 2) और वादी के मध्य विवाद शेष रह गया है ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 15 नियम 2 व्य०प्र०सं० के अन्तर्गत प्राप्त अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 3/1 व 3/2 के द्वारा प्रस्तुत सन्धि पत्र के आधार पर तुरन्त ही निर्णय सुना देना चाहिए था तथा प्रतिवादिनी सं० 2 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही आगे चलती रहती किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी निहित अधिकारिता का प्रयोग न करके महान भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि "सन्धि पत्र कागज सं0 43क मूलवाद के सभी पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं० 2 के अधिकारो की उपेक्षा करते हुये उक्त संधिपत्र वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व प्रतिवादी सं0 3/1 व 3/2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है" उक्त निष्कर्ष आदेश 15 नियम 2 व्य०प्र०सं० के विरूद्ध है। उक्त प्रावधान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण में से जिस किसी प्रतिवादी के मध्य का विवाद समाप्त हो गया हो न्यायालय उनके सन्दर्भ में तुरन्त निर्णय पारित कर सकेगा सभी पक्षकारों की ओर से सन्धि पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। शेष पक्षकारों के मध्य वाद की कार्यवाही आगे चलती रहेगी तथा उनके सम्बन्ध में न्यायालय साक्ष्य के आधार पर बाद में निर्णय पारित कर सकेगा। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 15 नियम 2 व्य०प्र०सं० के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारिता का प्रयोग न करके उक्त प्रावधान के अस्तित्व को नकारते हुये मनमाने ढंग से सन्धि पत्र को निरस्त करके महान भूल की है जिसके कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि "वादी एवं प्रतिवादी सं० 1. प्रतिवादी सं० 3/1 व 3/2 के मध्य किया गया समझौता दुरभि सन्धि प्रतीत होता है" पक्षपातपूर्ण है। सन्धि पत्र की धारा 1 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रतिवादी सं० 1 रामनिवास प्रतिवादी सं० 2 रामकिशोरी व प्रतिवादी सं० 3 रामगरोसे ने प्रश्नगत भूमि उसके पूर्व भूमिधर सुबेदार व भग्गू पुत्रगण चन्दन से निबंधित विक्रयपत्र दिनांक 22.05.1995 के माध्यम से क्रय किया था किन्तु विक्रय पत्र निष्पादन के लगभग 50 वर्ष पूर्व से उक्त भूमि पर श्री पंथवारी देवी मन्दिर का कब्जा चला आ रहा है विक्रेतागण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था जिसके कारण प्रतिवादीगण को भी आज तक कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। प्रतिवादीगण लम्बी मुकदमेबाजी से परेशान हो चुके है और अब सुलह समझौता से विवाद को समाप्त करना चाहते है यदि पक्षकार सचेत व

संज्ञान दशा में स्वेच्छा से सन्धि के द्वारा विवाद समाप्त करना चाहते है तो इसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दुरभि सन्धि प्रतीत होने का निष्कर्ष प्रतिवादी सं० 2 की आपत्ति पर आधारित होना दर्शाता है जबकि प्रश्नगत सन्धि के निस्तारण में प्रतिवादी सं0 2 की आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है क्योकि उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही आगे चलती रहेगी तब उसकी आपत्तियों का निस्तारण हो सकेगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि "विवादित भूमि को दिनांक 22.05.1995 को विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था तथा राजस्व अभिलेखो में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है उल्लेखनीय है विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1995 अभी तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नहीं हुआ है। अतः वाद के उपरोक्त समस्त तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में सन्धि पत्र के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य नहीं है" पूरी तरह से विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। सन्धिकर्तागण स्वच्छ हाथो से न्यायालय आये है उन्होने विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1995 एवं उसके पश्चात् एवं पूर्व के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों का उल्लेख सन्धि पत्र में किया है। विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1995 के निष्पादन के 50 वर्ष पूर्व से ही विक्रेतागण का विवादित परिसर पर कब्जा नहीं था और विक्रेतागण स्वयं को प्राप्त अधिकारों से अधिक का अन्तरण करने का अधिकार नहीं था तथा विक्रय पत्र निष्पादित होने के बाद प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वाधिकारी सुबेदार व भग्गू पुत्रगण चन्दन के साथ मिलकर राजस्व अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज के आधार पर नवम्बर सन् 1995 में प्रश्नगत भूमि पर अवैध व अनाधिकृत रूप से जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया था तब स्थानीय पुलिस की आख्या के आधार पर 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही भग्गू आदि बनाम रामदेव बाजपेई आदि श्रीमान उपजिलाधिकारी सवायजपुर हरदोई के न्यायालय में चली थी जिसमें गुण दोष के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 31.08.2001 में वादास्पद परिसर पर श्री पंथवारी देवी मन्दिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामदेव बाजपेयी के शांतिपूर्ण कब्जा व भोगाधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से विपक्षीगण को निषिद्ध किया गया था जिसके विरुद्ध विपक्षीगण ने न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय हरदोई में एक फौजदारी निगरानी सं० 135/2001 बेदराम बनाम रामदेव बाजपेई योजित की थी जो गुण दोष के आधार पर न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट सं० 5 द्वारा दिनांक 19.03.2002 को निरस्त हुयी थी। उक्त निर्णय को विपक्षीगण द्वारा कभी कोई चुनौती नहीं दी गयी तब से अब तक विवादित परिसर पर अनवरत रूप से निगरानीकर्ता (मन्दिर) का शान्तिपूर्ण कब्जा व भोगाधिकार चला आ रहा है। उत्तरदातागण अथवा उनके पूर्वाधिकारियों का विवादित सम्पत्ति पर कभी कोई कब्जा व भोगाधिकार नहीं रहा और न वर्तमान में है इस तथ्य को प्रश्नगत सन्धि पत्र कागज सं० 43क में प्रतिवादी सं० 1 (उत्तरदाता सं० 1) प्रतिवादीगण सं० 3/1 व 3/2 (उत्तरदाता सं० 3 व 4) ने स्वीकार किया है कथित विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1995 कभी प्रवर्तित (Actupon) नहीं हुआ जिसके कारण वह स्वतः शून्य व निष्प्रभावी हो गया है उसे निरस्त कराने की वादी को कभी कोई आवश्यकता नहीं हुयी। इस तथ्य की अनदेखी करके

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने महान भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूरी तरह से विधिक सिद्धान्तो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों व परिस्थितियों के प्रतिकूल है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में अपनी निहित अधिकारिता का प्रयोग न करके ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसे विधिक रूप से प्राप्त नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विधि द्वारा प्राप्त अधिकारिता का प्रयोग करने में पूरी तरह से असफल रहा है जिसके कारण प्रश्नगत आदेश अनुरक्षणीय नहीं है और प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

3) निगरानी के समर्थन में निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.03.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि व एवं संधिपत्र कागज सं०6ग/6, आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4) उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर लिखित रूप से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है मात्र मौखिक आपत्ति की गयी है।

5) प्रस्तुत निगरानी पर निगरानीकर्ता एवं उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6) निगरानीकर्ता के द्वारा अपनी मौखिक बहस में कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संधिपत्र कागज सं०43क निरस्त कर पूरी तरह से विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी सं० 3/1, 3/2 एवं प्रतिवादी सं०1 के मध्य विवाद को समाप्त न करके प्रतिवादी सं०2 की आपत्तियों को विशेष महत्व देकर विधिक अधिकारिता का दुरूपयोग करके पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी निहित क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग न करके महान भूल की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 15 नियम 2 सी०पी०सी० के प्राविधानों को अनुपालन नही किया गया है और संधिपत्र के अस्तित्व को मनमाने ढंग से निरस्त करके महान भूल की गयी है जिसके कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश एक संक्षिप्त आदेश है जिसमें आदेश करने के आधारों का उल्लेख नही किया गया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.03.2025 निरस्त होने योग्य है।

7) निगरानीकर्ता की निगरानी के प्रत्युत्तर में विपक्षी/उत्तरदाता की ओर से मौखिक आपत्ति एवं बहस में कथन किया है कि उपरोक्त रिवीजन जिला जज कार्यालय मुंसरिम की आख्या में वादीय सम्पत्ति मु० दस लाख रूपये पर रिवीजन का क्षेत्राधिकार स्वीकार किया गया है जबकि माननीय जिला जज को वादीय सम्पत्ति मु० पांच लाख रूपये या इससे कम पर रिवीजन सुनने का क्षेत्राधिकार है। पांच लाख से अधिक वादीय सम्पत्ति रिवीजन सुनने का क्षेत्राधिकार मा० उच्च न्यायालय को है। इस कारण प्रस्तुत रिवीजन निरस्त होने योग्य है।

उत्तरदाता के द्वारा अपनी मौखिक बहस में यह भी कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.03.2025 पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल है। आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग नही किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने अन्दर समाहित क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपनी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करते हुए उपरोक्त आदेश पारित करके संधि–पत्र को निरस्त किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कोई विधिक भूल, तात्विक अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग नही किया गया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

8) उत्तरदाता की ओर से अपनी मौखिक बहस में कथन किया है कि उपरोक्त रिवीजन जिला जज कार्यालय मुंसरिम की आख्या में वादीय सम्पत्ति मु० दस लाख रूपये पर रिवीजन का क्षेत्राधिकार स्वीकार किया गया है जबकि माननीय जिला जज को वादीय सम्पत्ति मु० पांच लाख रूपये या इससे कम पर रिवीजन सुनने का क्षेत्राधिकार है। पांच लाख से अधिक वादीय सम्पत्ति रिवीजन सुनने का क्षेत्राधिकार मा० उच्च न्यायालय को है। इस कारण प्रस्तुत रिवीजन निरस्त होने योग्य है।

9) इस बिन्दु पर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 19 दिसम्बर 2019 में धारा 115 सी०पी०सी० में संशोधन करते हुए शब्द पांच लाख रूपये के स्थान पर मु० पच्चीस लाख रूपये रखा गया है। इस संशोधन से यह स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि मा० जनपद न्यायाधीश को पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाली निगरानी को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मुंसरिम के द्वारा इस आशय की आख्या नही दी गयी है कि इस न्यायालय को सुनवाई करने की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नही है। इस आशय की आख्या दी गयी है कि निगरानी समय सीमा में है और न्यायशुल्क पर्याप्त है। अतः उत्तरदाता का यह तर्क बलहीन है कि श्रीमान जिला जज को मु० पांच लाख रूपये से अधिक के निगरानी को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है।

10) विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि संधिपत्र कागज सं०43क मूल वाद के सभी पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है तथा प्रतिवादी सं० 2 के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए संधिपत्र वादी एवं प्रतिवादी सं०1 प्रतिवादी सं०3/1 एवं 3/2 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बिन्दु पर इस न्यायालय का अभिमत है कि जहां पर किसी भी विवाद में एक से अधिक वादी तथा एक से अधिक प्रतिवादी हों तो उनमें से एक या अधिक वादी अथवा एक या अधिक प्रतिवादी के मध्य आपस में समझौता हो सकता है और उनके द्वारा लिखित समझौतानामा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद के सभी पक्षकारों को समझौता करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में भी प्रतिवादी सं०2 वादी से समझौता करने के लिए स्वतंत्र है कि वह

समझौता करे या न करे। यदि प्रतिवादी सं०2 द्वारा वादी से समझौता नही किया गया है तो उसको समझौता करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी सं०2 के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए उपरोक्त संधिपत्र दाखिल किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लिखित नही किया गया है कि प्रतिवादी सं० 2 के किस अधिकार की उपेक्षा करते हुए आदेश पारित किया गया है। मात्र यह अभिकथन कि प्रतिवादी सं०2 के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए संधि पत्र दाखिल किया गया है, स्वीकार्य नही है।

11) विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं०1 एवं प्रतिवादी सं०3/1, 3/2 के मध्य किया गय समझौता दुरभि संधि प्रतीत होती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन पक्षकारों के मध्य कौन सी दुरभि सन्धि थी, इसके बारे में आपने आदेश में कोई विस्तृत विवरण नही दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया है कि वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में वाद संधिपत्र के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य नही है। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये संधिपत्र का अवलोकन किया गया। संधिपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त संधिपत्र वादी एवं प्रतिवादी सं०1 एवं प्रतिवादी सं० 3/1, 3/2 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी सं०1 एवं प्रतिवादी सं०3/1 व 3/2 के द्वारा अपने मध्य उत्पन्न हुए विवाद को संधिपत्र के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है। इन पक्षकारों के द्वारा वाद को पूर्ण रूप से निर्णीत किये जाने की कोई याचना नही की गयी है। अतः इस वाद को संधि पत्र के आधार पर पूर्ण रूप से निर्णीत नही किया जा सकता। इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधि के अनुरूप नही है।

12) इससे सम्बन्धित प्राविधान आदेश 15 नियम 2 सी०पी०सी० में दिये गये हैं। आदेश 15 नियम 2 (1) में यह उपबन्धित किया गया है कि जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और प्रतिवादी में से किसी एक का विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर वादी से विवाद नही है, वहां न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के पक्ष में या उसके विरूद्ध निर्णय तुरन्त ही सुना सकेगा और वाद केवल अन्य प्रतिवादियों के मध्य चलेगा। प्रस्तुत प्रकरण में समझौता वादी एवं प्रतिवादी सं०1 एवं 3/1, 3/2 के मध्य हुआ है। वादी का कोई भी समझौता प्रतिवादी सं०2 से नही हुआ है। अतः वाद प्रतिवादी सं०2 के विरूद्ध संचालित किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं प्रतिवादी सं०1 तथा प्रतिवादी सं०3/1 व 3/2 को आपस में मुकदमा लड़ने के लिए बाध्य नही किया जाना चाहिए।

13) सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों पर सम्यक विचार नही किये बिना पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश युक्ति–युक्त कारण अभिलिखित किये बिना पारित किया

गयाा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने योग्य नही है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

I– निगरानी संख्या 33/2025 पंथवारी देवी विराजमान मन्दिर बनाम रामनिवास आदि स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.03.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारणीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकार दिनांक 29.03.2026 को विद्वान विचारणीय न्यायालय में उपस्थित हों।

II– निर्णय की एक प्रति मय मूल पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए। सत्र पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक– 10.03.2026

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, हरदोई
J.O. Code–UP1608

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 10.03.2026

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, हरदोई
J.O. Code–UP1608